राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट नं. – 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / परीक्षा / 2018 / 282 **दिनांकः** 18/12/18

समस्त प्रधानाचार्य,
पैरामेडिकल कॉलेज,
राजस्थान।

विषयः–पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2016–17 की प्रथम वर्ष परीक्षा, जुलाई 2018 के पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना के ऑन–लाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 04.12.2018 से 17.12.2018 तक जारी परीक्षा परिणामों यथा– Diploma in ECG Technology, Diploma in Cath Lab Technology, Diploma in Medical Lab Technology, Diploma in Ophthalmic Technology, Diploma in Radiation Technology, Diploma in Endoscopy Technology, Diploma in EEG Technology, Diploma in Orthopedic Technology, Diploma in Operation Theatre Technology, Diploma in Dialysis Technology, Diploma in Blood Bank Technology, Diploma in Emergency & Trauma Care Technology से सम्बन्धित पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2016–17 की प्रथम वर्ष परीक्षा, जुलाई 2018 के पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना के आवेदन–पत्र दिनांक 20.12.2018 से 29.12.2018 तक ऑन–लाईन आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगें। ऑन–लाईन आवेदन पत्र www.rpcraj.net पर उपलब्ध है।

पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना हेतु आवेदन–पत्र ऑन–लाईन की दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के नियम / विनियम के अनुसार होगें।
2. अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस हेतु वर्णित नियम व टिप्पणियों को बेबसाईट पर ध्यानपूर्वक पढ़े।
3. अभ्यार्थी को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम की सूचना जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, अभ्यार्थी अपना परिणाम अपरिवर्तित मानते हुए तदनुसार आगे की कार्यवाही करे।
4. अभ्यार्थी पुनर्मल्याकंन हेतु थ्योरी के कुल प्रविष्ट पेपर्स के कुल 50 प्रतिशत पेपर्स में ही पुर्नमूल्यांकन / पुर्नगणना हेतु आवेदन कर सकता / सकती है। यदि किसी विषय के दो पेपर हैं तो उनकी अलग–अलग पेपर के रूप में गिनती की जायेगी। यदि किसी पेपर में दो सेक्शन है, उदाहरणार्थः– सेक्शन–ए–और सेक्शन–बी तो अभ्यर्थी चाहे सेक्शन–ए–अथवा सेक्शन–बी अथवा दोनों सेक्शन में पुनर्मल्याकंन करवा सकता है, परन्तु इसको एक ही पेपर माना जायेगा। यदि छात्र थ्यौरी के कुल पॉच पेपर्स में प्रविष्ट हुआ है तो नियमानुसार 2.5 पेपर्स में आवेदन करने योग्य है। अतः पेपर्स को R/o करते हुए 3 पेपर्स में आवेदन कर सकता है। फीस प्रति–उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
5. अभ्यार्थी पुनर्गणना / पुनर्मूल्याकंन हेतु थ्योरी पेपर्स में ही आवेदन कर सकता है, फीस प्रति उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
6. पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना छात्रों को दी गई एक विशेष सुविधा हैं, पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना परिणाम के फलस्वरूप प्रवेश एवं राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की परीक्षा में बैठने की अनुमति के संबंध में किसी भी प्रकार की विशेष रियासत संबंधी नियम / विनियम के विपरीत देने के लिए राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल बाध्य नहीं होगा।
7. छात्र ऑनलाईन भरे गये पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना फॉर्म की हार्डकॉपी (प्रिन्टेड प्रति) एवं ऑनलाईन भुगतान के बाद प्राप्त शुल्क की रसीद को अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाऐं, जिससे कि संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य समस्त प्राप्त आवेदन–पत्रों को अपने महाविद्यालय में सुरक्षित रखते हुए आवेदन–पत्रों का ऑनलाईन सत्यापन कर सूची के प्रमाणित प्रिन्ट के साथ पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना आवेदन की स्थिति में छात्र की मूल / ऑन–लाईन अंकतालिका एवं यदि केवल पुर्नगणना हेतु आवेदन किया है, तो अंकतालिका की छायाप्रति ही संलग्न कर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को प्रेषित करेंगे। दस्तावेज के अभाव में भरा गया ऑनलाईन फॉर्म स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
8. यदि अभ्यार्थी नियम से अधिक विषयों / उत्तरपुस्तिका में पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना भर देता है अथवा एक से ज्यादा बार पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना फॉर्म भरकर ऑनलाईन शुल्क जमा करा देता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यार्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
9. पुनर्मूल्याकंन / पुनर्गणना के आवेदन की राशि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल नियम / विनियम – 2015 के शिड्यूल 16(11, 12) निम्नानुसार हैः–

क्रम सं.	विवरण	शुल्क
1	पुर्नमूल्यांकन शुल्क प्रति पेपर	500/–
2	पुर्नगणना शुल्क प्रति विषय	200/–

आपको निर्देशित किया जाता है कि जो छात्र/छात्रायें पुनर्मूल्याकंन/पुनर्गणना हेतु आवेदन–पत्र ऑन–लाईन कराये जाने हेतु अभ्यर्थियों को सूचित किया जावें। दिनांक 31.12.2018 तक पुनर्मूल्याकंन/पुनर्गणना के ऑन–लाईन आवेदन पत्रों की हार्ड प्रति कौंसिल कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 31.12.2018 के पश्चात् पुनर्मूल्याकंन/पुनर्गणना के ऑन–लाईन आवेदन पत्रों की हार्ड प्रति स्वीकार नही की जावेगी।

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक क्रमांकःपैरामेडि.कौं/परीक्षा/2018/282

दिनांकः 18/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक